

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर  
सरकार बनाम कुंभाराम आदि

किस्म मुकदमा:- धारा अन्तर्गत 131 व 132 एलआरए

नं. मुकदमा..... 48 / 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

03/03/22

तहसीलदार लूनकरणसर से ग्राम/चक साबनिया पटवार हल्क जेतपुर ए के मुरबा /खसरा नम्बर 493,496,504,503,527,839/502, 511,530,529,538 मे से होकर सार्वजनिक रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्राप्त हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्राप्त रास्ता प्रकरण का अवलोकन किया गया जिसमें अंकन किया गया है कि मौके पर सार्वजनिक आवागमन के रूप में रास्ता चालू हैं। अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1957 के नियम 58,59,60 व 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार लूनकरणसर के द्वारा अभिशंषित संलग्न प्रस्तावानुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेड में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित प्रचलित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार लूनकरणसर को आदेश दिया जाता है कि संलग्न प्रस्ताव निम्नानुसार है-

क. सं.	मु. नम्बर /ख.न.	रकबा बीघा में	किस्म भूमि	खसरावार रकबा जो रास्ते के काम आ रहा हैं।	नाम खातेदार
1	493	9.67	बा.1	0.0920	कुंभाराम पुत्र गणपतराम जाति नायक साकिन देह खातेदार
2	496	2.66	बा.1	0.1100	कुंभाराम पुत्र गणपतराम जाति नायक साकिन देह नौरगलाल सुखराम पुत्र हरीराम जाति नायक साकिन धांधुसर खातेदार
3	504	1.96	बा.1	0.0640	सुखराम पुत्र लाधूराम जाति जाट साकिन देह खातेदार
4.	503	5.94	बा.1	0.0800	अमीलाल पुत्र मोटाराम अर्जुनराम पुत्र लाधूराम वगै. जाति जाट साकिन देह खातेदार
5.	527	6.68	बा.1	0.0300	
6.	839/502	5.06	बा.1	0.0250	तिलोकाराम रामकुमार पुत्र रामचन्द्र जाति नायक साकिन देह खातेदार
7.	511	1.40	बा.1	0.0600	अर्जन पुत्र सूरजाराम जाति नायक साकिन देह खातेदार
8	530	13.53	बा.1	0.2300	फूसाराम लेखराम हेतराम पि0 उमाराम जाति जाट साकिन देह खातेदार
9	529	6.48	बा.1	0.11	मोटाराम पुत्र लाधूराम जाति जाट साकिन देह खातेदार
10	538	5.0	बा.1	0.03	किरसन पालाराम पि0 भानोराम हि0 2/3, जाति नायक साकिन धांधुसर रेशमीदेवी पत्नी रामचन्द्र जाति नायक साकिन साबनिया हि0 1/3 खातेदार



उक्त कृषिभूमि बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तरकरण रास्ते को पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे एवं नक्शे में तरमीम की जावे। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान के खाते में ही रहेगी एवं तहसीलदार लूनकरणसर द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा आदेश का भाग रहेंगे। तदानुसार तहसीलदार लूनकरणसर को राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु आदेश जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्त जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

22/3